स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

साहिबगंज नगर परिषद,
"स्वच्छ भारत अभियान"(शाखा)
आम सूचना

पत्रांक.–1141

दिनांक–8-6-17/

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम–2011 की धारा 333 एवं 334 के तहत् बाहर खुले में शौच करना तथा कुड़ा–कचरा/ गंदगी फैलाने आदि पर निम्नलिखित रूप से जुर्माना वसूला जायेगा :–

➢ ***धारा–333 .सड़क से या नजदीक से घृणोत्पादक पदार्थों के न हटाये जाने पर दण्ड के भागी होगें।***

कोई व्यक्ति, जो नगरपालिका में किसी लोक गली में या के नजदीक घर का अध्यासी होते हुए, चौबीस घंटे से अधिक, या विनियम द्वारा निर्धारित कम समय से अधिक, किसी समुचित आधान में के अन्यथा, कोई धूल, गंदा, विष्ठा, हड्डियां, राख, मैल या कोई हानिकारक या घृणोत्पादक पदार्थ, धूल, ऐसे घर में या पर, या बाहरी घर में, आंगन या ऐसे घर से जुड़े और अध्यासित जमीन पर रखता है या रखने की अनुमति देता है, अथवा ऐसे पात्र को मैले या हानिकारक अवस्था में रखता हो, या उसकी समुचित सफाई के साधन अपनाने में उपेक्षा करे, वह जुर्माना, जो पांच हजार तक दण्डित किया जायेगा।

➢ **धारा– 334 . गली या नाली में मल–जल, घृणोत्पादक पदार्थ या कूड़ा–कर कट फेंकने या बहाने के लिए दण्ड**

(1) नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी की अनुमति के बिना, किसी गली पर सार्वजनिक स्थल पर, कोई मल–जल या घृणोत्पादक पदार्थ, अथवा किसी सीवर या नाली में कोई ईंटा, पत्थर या राख या कोई पदार्थ या द्रव्य गिराता है, फेंकता है, रखता है, अथवा गिरवाता है, फिंकवाता है या रखवाता है, जो या जिसके कारण, ऐसा सीवर या नाली अथवा उससे मिलती कोई नाली, बाधित हो सकती हो, अथवा

(2) पानी या कोई मोरी, सीवर या मलहौद या घृणोत्पादक पदार्थ, उससे सम्बन्धित या उसके भूमि पर होते हुए, किसी गली पर भगवाता, बहवाता या फिंकवाता या रखवाता है या अनुमति देता है, अथवा किसी घृणोत्पादक पदार्थ को किसी गली में भगवाता, बहवाता, या फिंकवाता या रखवाता है या अनुमति देता है, अथवा किसी घृणोत्पादक पदार्थ को किसी जमीनी नाली में ऐसी रीति से भगवाता, बहवाता या फिंकवाता या रखवाता है, जिससे उपद्रव हो, अथवा

(3) नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी की अनुमति के बिना, किसी कारखाना, बेकरी, मद्यशाला, कार्यशाला या कार्य–स्थल का, या किसी भवन या स्थान से, जहां वाष्प, जल या यांत्रिक शक्ति का प्रयोग होता हो, कोई जल, वाष्प, या धुआँ या किसी द्रव को, जो नाला को विपरीत रूप से प्रभावित करता हो, किसी नाली में छोड़ता हो या छुड़वाता हो, अथवा मल–जल का निस्तारण, बिक्री या अन्यथा नाली के साथ–साथ करे, या जिससे उपद्रव पैदा होना संभावित हो, पांच हजार रूपये तक का जुर्माने का दायी होगा।

➢ अपने शहर को साफ–सुथरा रखने में अपना पूर्ण सहयोग दें।

08.06.17

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद, साहिबगंज।
8/6/17

ज्ञापांक 1141/ साहिबगंज, दिनांक– 8-6-17

प्रतिलिपि– **निदेशक, राज्य शहरी विकास अभिकरण,** नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची/ उपायुक्त, साहेबगंज/ अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु सादर प्रेषित।

प्रतिलिपि– माननीय अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/ माननीय सभी वार्ड पार्षद, साहिबगंज नगर परिषद को सूचनार्थ प्रेषित।

08.06.17

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद, साहिबगंज।
8/6/17

SWACHH BHARAT MISSION